

आवंटन/नीलामी तिथि
24.09.2015
समय
प्रातः 11:00 बजे

हमारा प्रयास  आपका आवास

परिषद के मेरठ जोन के अन्तर्गत मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर,
खतौली तथा बड़ौत में आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों का श्रावंटन/नीलामी

आवंटन/नीलामी स्थल : सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, जागृति विहार, मेरठ



नीलामी से निस्तारित होने वाले आवासीय भूखण्ड				
भवन/भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	भूमि दर फ्री होल्ड सहित (प्र०व०मी०)	अनुमानित मूल्य (लाख में) प्रति नग	पंजीकरण धनराशि
अशोक विहार योजना, खतौली : 80 वर्ग मी० से बड़े आवासीय भूखण्ड (03 नग)				
B-128 (OBC)	295.22	7840.00	23.15	1.16
A-129 (GEN)	264.00	7840.00	20.70	1.04
A-140 (GEN)	242.00	7840.00	18.97	0.95
अशोक विहार योजना, खतौली : 53/127 प्रकार के मध्यम आय वर्ग भवन (01 नग)				
D-128 (GEN)	127.50	-----	15.50	0.78
शाकुन्तलम योजना, मुजफ्फरनगर : 80 वर्ग मी० से बड़े आवासीय भूखण्ड (01 नग)				
449 Corner (GEN)	144.72	12320.00	17.83	0.89
चरण विहार योजना, बड़ौत: आवासीय भूखण्ड (01 नग)				
1A-371 (SC)	30.15	16800.00	5.07	0.26
शाकुम्भरी विहार, सहारनपुर: 65/200 प्रकार के सेमी फिनिश उच्च आय वर्ग भवन (01 नग)				
3B-158 (Corner) (SC)	270.00	-----	46.43	2.32
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : 81 व.मी. से बड़े भूखण्ड (सैक्टर-2 व 4) (04 नग)				
2/257 (GEN) (Corner)	228.00	14784.00	3370752	168538
4/538 (GEN)	101.67	13440.00	1366445	68322
4/539 (GEN)	100.62	13440.00	1352333	67617
4/540 (GEN)	99.57	13440.00	1338221	66911
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : 171 व.मी. से बड़े भूखण्ड (सैक्टर-2) (02 नग)				
2/263 (GEN), 2/264 (GEN)	171.00	13440.00	2298240	114912

नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियाँ				
भवन/भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	भूमि दर फ्री होल्ड सहित (प्र०व०मी०)	आरक्षित मूल्य (लाख में) प्रति नग	पंजीकरण धनराशि
अशोक विहार योजना, खतौली : व्यवसायिक भूखण्ड (08 नग)				
B.Com-2 (OBC)	85.79	18745.00	16.09	1.61
B.Com-3 (GEN)	78.20	18745.00	14.66	1.47
B.Com-4 (GEN)	78.20	18745.00	14.66	1.47
B.Com-5 CORNER (GEN)	88.32	20620.00	18.22	1.83
B.Com-6 CORNER (SC)	154.95	20620.00	31.96	3.20
B.Com-7 (OBC)	128.92	18745.00	24.17	2.42
B.Com-8 (SC)	140.17	18745.00	26.28	2.63
B.Com-9 (GEN)	166.35	18745.00	31.19	3.12
उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर. 1.20, ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत 40% तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि के अनुसार है।				
पठानपुरा योजना संख्या-1 (विवेक नगर), सहारनपुर : दुकान (02 नग)				
S-19 (GEN)	9.62	-----	5.28	0.53
S-20 (GEN)	14.196	-----	7.68	0.77
शास्त्रीनगर योजना संख्या-3, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड (आई ब्लॉक) (01 नग)				
I.S.-116/2	128.00	42560.00	5447680	544768
शास्त्रीनगर योजना संख्या-3, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड (एल ब्लॉक) (02 नग)				
CP L-1001 (Corner)	461.25	46816.00	21593880	2159388
CP L-1002	322.87	42560.00	13741347	1374135

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर. तथा ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत उपविधि अनुसार तथा अधिकतम ऊँचाई 10.50 मी. है।				
शास्त्रीनगर योजना संख्या-3, मेरठ : दुकानें (डी एवं के ब्लॉक) (12 नग)				
K-1	8.062	-----	930216	93022
K-2, 3, 4, 10, 12, 15, 16	9.099	-----	1049868	104987
K-17, 18, 22, 25	8.131	-----	938177	93818
जागृति विहार योजना संख्या-6, मेरठ : दुकानें (सेक्टर-3) (05 नग)				
S-3/11, 12, 13, 15, 16	14.19	-----	635017	63600
शास्त्रीनगर योजना संख्या-7, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड सैक्टर-3 (01 नग)				
3/Comm-A	1360.26	42560.00	57892666	5789267
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : हेल्थ सेंटर भूखण्ड सैक्टर-1 (01 नग)				
हेल्थ सेंटर भूखण्ड सैक्टर-1 Corner	8740.39	22176.00	193826889	19382689
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : मल्टीप्लेक्स भूखण्ड (01 नग)				
मल्टीप्लेक्स भू० 2/M.P.-01 Corner	7300.00	29568.00	215846400	21584640
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड सैक्टर-3 (01 नग)				
2 CP-1 2PR-1 पार्किंग हेतु	1701.50+203.50 =1905.00	29568.00	56327040	5632704

नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियाँ				
भवन/भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	भूमि दर फ्री होल्ड सहित (प्र०व०मी०)	आरक्षित मूल्य (लाख में) प्रति नग	पंजीकरण धनराशि
शाकुम्भरी विहार, सहारनपुर : होटल भूखण्ड (01 नग)				
2A/H-1 (Corner) (GEN)	8088.40	27104.00	2192.28	219.23
उपरोक्त सम्पत्ति में एफ.ए.आर. 1.50 तथा ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत 40% है।				
शाकुम्भरी विहार, सहारनपुर : शिक्षण भूखण्ड (01 नग)				
प्राइमरी स्कूल भूखण्ड (GEN)	1844.94	13310.00	245.57	24.56
तालिका में उल्लिखित मूल्य पंजीकरण धनराशि के निर्धारण हेतु ही हैं। आवंटन तिथि/आवंटन पत्र निर्गत तिथि पर लागू भूमि दर के अनुसार विद्यालय को भूखण्ड का मूल्य देना होगा। उक्त आरक्षित भूमि दर में 10 प्रतिशत लीज रेंट व 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क शामिल है। पंजीकरण पुस्तिका सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, विवेक नगर, सहारनपुर से रु० 1000/- में क्रय कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित टोकन मनी का बैंक ड्राफ्ट जोकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, देयक सहारनपुर के पक्ष में देय हो, के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, सहारनपुर में जमा करना होगा तथा पात्र आवेदकों को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पंजीकृत डाक द्वारा सूचना नीलामी तिथि निर्धारित होने पर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, सहारनपुर द्वारा दी जायेगी।				
जागृति विहार योजना संख्या-11 (विस्तार), मेरठ : ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (02 नग)				
2/GH-1 Corner (GEN)	10400.00	25872.00	269068800	26906880
2/GH-2 Corner (GEN)	11000.00	25872.00	284592000	28459200
उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर., ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि के अनुसार है।				
नोट : माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ में व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-2सीपी-1 जिसका क्षेत्रफल 1701.50 व.मी. है जिस पर उपविधि के अनुसार मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा तथा 2पीआर-1 जिसका क्षेत्रफल 203.50 व.मी. है, व्यवसायिक भूखण्ड सं.-2सीपी-1 के साथ पार्किंग हेतु उपलब्ध है जिस पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।				
वसुन्धरा योजना/सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद की व्यवसायिक/आवासीय सम्पत्तियों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर				
वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में व्यवसायिक भूखण्ड/आफिस कम कार्पोरेशन, संस्थागत भूखण्ड, नर्सिंग होम भूखण्ड/ सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड/ हेल्थ सेंटर भूखण्ड एवं आवासीय भवन (दो मंजिले) सम्पत्तियों का विवरण				

भूखण्ड संख्या	भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित दर (रु०) प्र०व०मी०	टोकन धनराशि (रु०)
वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद : अनावासीय सम्पत्तियाँ					
व्यावसायिक भूखण्ड 15/C.P.-51 16A/S.C.P.-13, 16A/C.P.-2154	3	10.00 से 199.75	GEN	93632.00 से 94080.00	94100.00 से 1879300.00
नवविकसित व्यावसायिक भूखण्ड 6/COMM.-1D-A 6/COMM.-1D-B 6/COMM.-1D-C 6/COMM.-1E (CORNER)	4	787.75 से 1722.41	GEN	94080.00 से 103488.00	7411200.00 से 16204450.00
संस्थागत भूखण्ड 4/I.N.S.-5 4/I.N.S.-6, 4/I.N.S.-12	3	3657.50 से 6584.33	GEN	70560.00 से 77616.00	25807400.00 से 51105000.00
होटल भूखण्ड 4/H-1	1	3558.30	GEN	103488.00	36824200.00
सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड Sector-4	1	1038.00	GEN	50820.00	5275200.00
नर्सिंग होम भूखण्ड 2A/N.H.-2	1	1026.00	GEN	70560.00	7239500.00
हेल्थ सेंटर भूखण्ड Sec-1 3/HC	2	3432.75 से 5232.52	GEN	70224.00 से 70560.00	24221500.00 से 36744900.00
सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद : अनावासीय सम्पत्तियाँ					
व्यवसायिक भूखण्ड 9/COMM-2	1	461.18	GEN	80080.00	3693200.00
नर्सिंग होम भूखण्ड 9/N.H.-1	1	3090.11	GEN	54600.00	16872000.00
वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद : आवासीय सम्पत्तियाँ : दो मंजिला एफ-60 प्रकार (भूतल) आवासीय भवन					
16B/233, 16B/236, 16B/237, 16B/240	4	98.68 से 218.35	GEN	5366500.00 से 11002200.00	268325.00 से 550110.00

नीलामी हेतु प्रमुख शर्तें : (1) व्यवसायिक सम्पत्तियों में एफ०ए०आर० 1.2, संस्थागत भूखण्ड, नर्सिंग होम, सामुदायिक केन्द्र भूखण्डों में एफ०ए०आर० 1.5 निर्धारित है एवं सम्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद से प्राप्त की जा सकती है। (2) सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम व आदेशों के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक क्रेताओं को अनावासीय/आवासीय सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य की टोकन धनराशि उपरोक्तानुसार एवं कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर तदनुसार बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अथवा पे-आर्डर जो कि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद के पक्ष में देय हो आवेदन फार्म भरकर खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं, सीलड बिड कार्यालय कार्यदिवस में नीलामी से एक दिन पूर्व तक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गाजियाबाद में दी जा सकती है। टोकन नीलामी के दिन प्रातः 10:00 बजे से नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व तक निर्गत किये जायेंगे। संस्थागत भूखण्डों की नीलामी में केवल संस्थाओं द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकता है। सम्पत्तियों की संख्या/क्षेत्रफल में कमी/वृद्धि हो सकती है। व्यावसायिक भूखण्डों में आरक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति नीलामी से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवासीय सम्पत्ति के आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके पति/पत्नी/अवसरक बच्चों के पास कोई भवन/भूखण्ड गाजियाबाद शहर में नहीं है तथा उ०प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है। विज्ञापन व्यय प्राप्त उच्चतम बोली का 0.25 प्रतिशत अलग से लिया जायेगा। सम्पत्ति का कब्जा 50 प्रतिशत धनराशि जमा होने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी जमा करने पर पंजीकृत अनुबन्ध के माध्यम से दिया जायेगा। नीलामी पुस्तिका रु० 100.000 का भुगतान कर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्प्लेक्स हाल एस-1, गाजियाबाद से प्राप्त कर सकते हैं। आवास आयुक्त महोदय को बिना कोई कारण बताये बोली अस्वीकृत करने का अधिकार होगा एवं किसी भी विवाद की दशा में आवास आयुक्त (म०) का निर्णय अन्तिम होगा।

चबूतरे/दुकानें (विस्थापित): वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में विस्थापित श्रेणी में दुकानों हेतु पंजीकृत आवेदकों के मध्य सहमति के आधार पर लाटरी ड्रा द्वारा आवंटन उपरोक्त दिनांक एवं स्थल पर किया जायेगा। परिषद द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार दुकानों का आवंटन मूल मूल्यांकन की पद्धति (दुकानों का निर्माण मूल्य स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार व वर्तमान भूमि दर लेकर) के अनुसार आवंटित की जायेगी।

परिषद से सम्बन्धित समस्या हमसे करें



जनसुविधा केन्द्र

परिषद से समस्या के निराकरण हेतु डायल करें

1800-180-5333 (टोल फ्री) 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700:2005



सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.com>; E-mail : info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



SQMS